कार्यालय जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद

सूचना नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मुरादाबाद मुख्यालय पर साईकिल स्टैण्ड, चाय कैन्टीन व फोटो स्टेट दुकान स्थलों का वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये नीलामी की जानी है, जिसके हेतु दिनॉक 17.03.2018 दिन शनिवार दोपहर 2:00 बजे तक सील्ड बन्द टेण्डर आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय मुरादाबाद में सील्ड बन्द टेण्डर जमा करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है।

(हस्ताक्षर) 05-3-2018

अध्यक्ष
नीलामी समिति
जपनद न्यायालय,
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित

1. नाजिर कलेक्ट्रेट मुरादाबाद
2. कार्यालय आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद
4. स्थानीय पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ
5. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ
6. जनपद न्यायालय मुरादाबाद की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु नोडल अधिकारी रामपुर को।
7. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ओ0 एस0 डी0 कानपुर नगर उच्च न्यायालय इलाहाबाद को।

(हस्ताक्षर) 05-3-2018
अध्यक्ष
नीलामी समिति
जनपद न्यायालय,
मुरादाबाद

5/3/2018

अपर जिला जज कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।

कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।
नियम व शर्त

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जजी, प्रांगण, मुरादाबाद में खाद्य पदार्थ की दुकानों के लिए एवं फोटो स्टेट की दुकानों के लिए स्थल आवंटित करने हेतु सील बन्द टेण्डर नीलामी के दिनांक 17.03.2018 के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। सील बन्द टेण्डर केन्द्रीय नजारत में दिनांक 17.03.2018 की अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। नियत समय के उपरान्त प्राप्त टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक टेण्डर हेतु धरोहर राशि 25,000–00 रूपये नकद या इसी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो माननीय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद के पक्ष में देय होगा, जो टेण्डर के साथ केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद में जमा कराना होगा। उक्त टेण्डर उसी दिन दोपहर 4.00 बजे नीलामी समिति के समक्ष खोले जायेंगे। टेण्डर अस्वीकृत होने की दशा में धरोहर राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस में वापस कर दिया जायेगा। टेण्डर की स्वीकृति व अस्वीकृति का अधिकार नीलामी समिति को होगा। इस नीलामी के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें होंगी–

1. ठेके की अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक मान्य होगी।
2. दुकानों पर केवल खाने–पीने की वस्तुयें जैसे– चाय, बिस्कुट, मीठा, नमकीन, खाना व पूड़ी, फल, जल पान ही बेच सकता है। ठेकेदार को स्टाल मूल्य सूची लगानी होगी तथा उसके अलावा किसी अन्य सामग्री खाने या किसी तहबा–जारी वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।
3. ठेके की दुकानों पर किसी भी प्रकार की अवैध चीज नशीली या कच्चा मांस, अपमिश्रित या अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं बेची जा सकेगी।
4. प्रत्येक वस्तु नियमानुसार स्टैण्डर्ड नहीं पायी गयी तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि ठेका निरस्त कर दें।
5. ठेकेदार बिजली, पानी एवं अपने कार्य के वारदाने तथा टी स्टाल के निर्माण का इंतजाम स्वयं करेगा।
6. ठेके से सम्बन्धित किसी विवाद पर जनपद न्यायाधीश महोदय का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
7. नीलाम की स्वीकृति मिलने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100/– के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा। वह इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के समय–समय पर होने वाले आदेशों का पालन करेगा एवं प्रत्येक बोली बोलने वाला व्यक्ति 25,000/– रूपये नीलाम अधिकारी के पास जमा करेगा।
8. नियत दुकान के अलावा कोई दुकान बढ़ायेगा तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि बढ़ी हुयी दुकान को तुरन्त हटवा दें तथा ठेके का अर्थ तहबा जारी से नहीं होगा।
9. ठेकेदार ठेके की अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च, 2018 को अपना सामान हटा लेगा और ठेके के अन्तर्गत भूमि एवं स्थान का कब्जा नाजिर को दे देगा।
10. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके की मूल धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा।
11. अधिकतम बोली बोलने वाले और उस बोली के स्वीकार होने की स्थिति में तत्समय बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी की धनराशि 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा करनी होगी। इस नियम का पालन न करने पर बोली निरस्त समझी जायेगी।
12. ठेके की अवशेष 50 प्रतिशत राशि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा ठेके की बोली की अंतिम स्वीकृति के तीन माह के अन्दर बराबर किश्तों में जमा करनी होगी। इस नियम का पालन न करने पर नगद जमा धनराशि 50 प्रतिशत जब्त मानी जायेगी और ठेका आवंटी निरस्त समझा जायेगा। ये नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश के स्वीकृति के अधीन होगी।
13. ठेके की बोली विगत वर्ष की ठेके की अवधि से 10 प्रतिशत अधिक बढ़ाकर न्यूनतम बोली होगी। इससे कम पर कोई बोली स्वीकार नहीं होगी।
14. टेण्डर की शर्तें एवं न्यूनतम सरकारी बोली के सम्बन्ध में सूचना नाजिर के पास देखी जा सकती है।

विवरण ठेका/नीलाम

1. केन्द्रीय नजारत के सामने चाय की दुकान हेतु स्थल (पश्चिम रूखा) न्यूनतम सरकारी बोली– 2,14,500–00रू0
2. केन्द्रीय नजारत के सामने चाय की दुकान हेतु स्थल (पूरब रूखा) न्यूनतम सरकारी बोली– 2,14,500–00रू0
3. रजिस्ट्री कार्यालय के सामने चाय की दुकान हेतु स्थल, न्यूनतम सरकारी बोली– 2,90,400–00रू0
4. रजिस्ट्री कार्यालय के सामने फोटो स्टेट की दुकान हेतु स्थल, न्यूनतम सरकारी बोली–4,10,575–00रू0
5. न्यायालय परिसर में साईकिल स्टैण्ड हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी बोली– 5,44,500–00 रू0
6. सी0जे0एम0 ब्लॉक में चाय की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी बोली– 1,65,000–00 रू0
7. 12 कोर्ट ब्लॉक में चाय की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी बोली– 2,55,200–00 रू0
8. सिविल जजी ब्लॉक में चाय की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी बोली– 84,700–00 रू0

05-3-2018

~~चेयरमैन नीलामी कमेटी~~/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।